

क्रमांक : वसूली /2012-13/126

दिनांक : 27-8-12

प्रबंधक

ऐविसारा बैंक,

सर्कुलर रोड, कुम्हेर गेट,

भरतपुर (राज.)

विषय :- बाडी रोड आवासीय योजना, धोलपुर में नये पंजीकरण योजना हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफस आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के काम में ।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बाडी रोड आवासीय योजना, धोलपुर में नई पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी झापटों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त समस्त कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा ।

भवदीय



वित्तीय सलाहकार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी रायिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. एनालिसट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, राज. आवा. मण्डल
7. आवासीय अभियन्ता, राज. आवा. मण्डल
8. रक्षित पत्रावली



वित्तीय सलाहकार

क्रमांक : वसूली / 2012-13 / 127

दिनांक : 27-8-12

प्रबंधक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,

सारसी लाईन के पास,

जी.टी.रोड

धोलपुर (राज.)

विषय :- वाडी रोड़ आवासीय योजना, धोलपुर में नये पंजीकरण योजना हेतु आवेदकों से आवेदन पत्र जमा करने से लेकर असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने तक का कार्य करने के कम में ।

महोदय,

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा वाडी रोड़ आवासीय योजना, धोलपुर में नई पंजीकरण योजना प्रारंभ की जानी है इस हेतु आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाने वाली पंजीकरण राशि को जमा करने से लेकर लॉटरी पश्चात् असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि लौटाने का कार्य बैंक निम्न शर्तों पर करवाया जाना है :-

1. बैंक द्वारा मण्डल की विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र विक्रय कर प्राप्त राशि को संबंधित मण्डल कार्यालय के खाते में जमा करानी होगी।
2. बैंक द्वारा इच्छुक आवेदकों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्रों एवं पंजीकरण राशि सहित योजना वार खाता खोलकर जमा करने होंगे।
3. अन्तिम तिथि के पश्चात् सात दिवस के अन्दर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का मण्डल द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में साफ्ट कापी तैयार कर मण्डल कार्यालय में सौपनी होगी।
4. बैंक को सभी ड्राफ्टों को योजना वार का खाता खोलकर जमा करना होगा।
5. संबंधित बैंक को प्राप्त राशि की एक लाख के गुणक में सावधि बनानी होगी उक्त सावधि असफल आवेदकों को राशि लौटाने हेतु दी गयी दिनांक तक प्रचलित ब्याज दर से बनानी होगी।
6. वरीयता लॉटरी के पश्चात् वृत्त/खण्ड कार्यालय द्वारा असफल आवेदकों की सूची बैंक को सौपने के 7 दिवस में सभी असफल आवेदकों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा राशि रिफण्ड करनी होगी।
7. उक्त राशरत कार्यों का बैंक द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा।
8. असफल आवेदकों को समय पर राशि नहीं मिलने की स्थिति में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के लिए बैंक उत्तरदायी होगा।

उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त बैंक द्वारा कोई अन्य जोड़े जाने पर प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं होगा ।

भवदीय

वित्तीय/सलाहकार

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राजस्थान आवासन मण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना मण्डल की वेबसाईट पर डालने का श्रम करें।
5. जन सम्पर्क अधिकारी, राज. आवा. मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त राज. आवा. मण्डल राज. आवा. मण्डल राज. आवा. मण्डल
7. आवासीय अभियन्ता राज. आवा. मण्डल राज. आवा. मण्डल राज. आवा. मण्डल
8. रक्षित पत्रावली

वित्तीय सलाहकार